

3/20

पत्रावली पेड्य हुयी बहल पक्षकारान  
 पुर्व पेड्यी पर खुनी आ हुये हैं। एतन्न  
 प्रावर्तन पत्र का मूल वाद घोषणा का  
 है अतः खातेदारी अधिकार दावे में लक्ष  
 किने जायेगे तब तक उमप पक्षकारान  
 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया  
 जाता न्यायोचित होगा अतः आदेश  
 दिया जाता है कि :-

आदेश

शुक्ति खसरा न. 44 व 45 बिला-2  
 कुल रकम 1.00 टं तन ग्राम चक होप  
 तहसील खण्डेला जिला अहमद साजलखान  
 में उमप पक्षकारान को ता दौरान सुनवाई  
 दावा अरिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द  
 किया जाता कि रिकार्ड व मोब की  
 मध्यास्थिति काए रखे। उक्त आदेश अहमदिया  
 प्रावर्तन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी  
 मंडल कानन नानग मुण्डा 90/13 में भी  
 चला है। पत्रावली फ़ैसल सुपाए होये  
 गच्छत से कम से काद लमील दाखिल  
 फ़ैसल हो



(रजिस्ट्रार सिई)

उपसलख अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)